नीलामी की सूचना एवं शर्ते

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक–22.01.2025 के अनुक्रम मे जनपद न्यायाधीश सोनभद्र के अन्तर्गत प्रांगण जजीखण्ड एवं मुंसफीखण्ड में स्थित दुकानों के स्थान एवं कैन्टीन, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है, की नीलामी वर्ष 2025–26(01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) के लिये दिनांक–18.02.2025 समय सायं 4.30 बजे जनपद न्यायालय सोनभद्र के परिसर में करायी जायेगी। नीलामी में भाग लेने एवं नीलामी सम्बन्धी अन्य जानकारी के लिए नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र में सम्पर्क किया जा सकता है।

इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी की तिथि को पूर्वान्ह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक निर्धारित नगद सुरक्षा/जमानत की धनराशि नजारत अनुभाग में जमा करने के उपरान्त ही (डिफॉल्टर व्यक्ति को छोड़कर) खुली बोली आमंत्रण प्रकिया में भाग लेने का अधिकार होगा तथा उच्चतम बोलीकर्ता की नीलामी स्वीकार होने के तीन दिन के अन्दर सुरक्षा धनराशि के अतिरिक्त नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि का 1/4 (प्रथम किस्त के रूप में) भाग जैसा की नीलामी के समय में नीलामी समिति द्वारा आदेशित किया जायेगा। नजारत अनुभाग में यह जमा करना होगा, अन्यथा सुरक्षा/जमानत की धनराशि जब्त करके द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता वाले व्यक्ति को यह अवसर दे दिया जाएगा। उच्चतम नीलामी की धनराशि को शेष 3/4 भाग जमा करने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में जुलाई 2025 के प्रथम सप्ताह, तृतीय किश्त अक्टूबर 2025 के प्रथम सप्ताह तथा चतुर्थ किश्त जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में सुरक्षा धनराशि समायोजित करते हुए जमा करना होगा। नीलामी स्वीकार हो जाने की दशा में 100.00 रूपया के स्टाम्प पर एग्रीमेन्ट निष्पादित करना होगा। जिसमें निम्नलिखित शर्ते होगी।

1. यह कि द्वितीय पक्ष नीलामी एवं अपने सामानों की सुरक्षा का स्वयं जिम्मेदार होगी।
2. यह कि द्वितीय पक्ष के ठेके की धनराशि दिनांक 01.04.2025 से प्रारम्भ होगी और दिनांक 31.03.2026 तक रहेगा।
3. यह कि द्वितीय पक्ष का जिस काम का ठेका होगा वह स्वयं करेगा किसी अन्य को दुकान ठेके पर नही देगा।
4. यह कि आवश्यकता अनुसार बोलीकर्ता विद्युत कनेक्शन प्राप्त करके विद्युत का उपभोग एवं पानी की व्यवस्था करेगा।
5. यह कि उपरोक्त शर्तो को यदि द्वितीय पक्ष पालन नही करता है तो उसके द्वारा जमानत धनराशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा ठेका निरस्त होने पर हर्जाना यथास्थिति अवशेष धनराशि की सीमा तक द्वितीय पक्ष से वसूल कर लिया जायेगा।
6. यह कि उपरोक्त ठेके से उत्पन्न सम्पूर्ण विवाद के सन्दर्भ में एक मात्र क्षेत्राधिकार जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र को ही होगा।
7. यह कि ठेके की शर्तो का पालन न करने पर एवं हुई हानि की वसूली पब्लिक मनी रिकवरी एक्ट के प्राविधान के अन्तर्गत प्रथम पक्ष के द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करके लैण्ड रेवेन्यू की तरह धन वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
8. यह कि उपरोक्त रूप से प्राप्त ठेके के बावत शर्तो के उल्लंघन की दशा में युक्ति–युक्त सुनवाई के अवसर के अधीन ठेका निरस्तीकरण का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र को होगा।

दुकानों आदि का विवरण जिनकी नीलामी की जानी है:–

क0. सं0	दुकानो का नाम	स्थान का नाम	सुरक्षा धनराशि	निविदा की न्यूनतम आरक्षित धनराशि
1.	फोटो स्टेट की दुकान का स्थान	जजीखण्ड (स्थान पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग के बाये साइड)	5000.00	122000.00
2.	फल की दुकान का स्थान	जजीखण्ड (स्थान पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग के सामने)	2000.00	22551.00
3.	लाई/चने भूजे के ठेले की दुकान का स्थान	जजीखण्ड (स्थान पुरानी ट्रेजरी बिल्डिंग के सामने)	1000.00	22000.00
4.	कैन्टीन	मुंसफीखण्ड	10000.00	225251.00
5.	फोटो स्टेट की दुकान का स्थान	मुंसफीखण्ड	5000.00	134000.00

नोटः–

1. जिन ठेकेदारो के नाम काली सूची में है वे बोली बोलने के लिए अधिकृत नही होगें।
2. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के लिए बोली नही बोलेंगा।
3. नीलामी की बोली की शर्त मन्जूर होने पर ही कोई ठेकेदार बोली बोलने का अधिकारी होगा।
4. बिना कोई कारण बताए उच्चतम बोलने वाले बोली स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश सोनभद्र को होगा।
5. दिवालिया घोषित व्यक्ति बोली बोलने का अधिकारी नही होगा।
6. विधि अनुसार संविदा करने में सक्षम व्यक्ति ही बोली बोलने का अधिकारी होगा।

Amit 28/1/25

(अमित कुमार)
सिविल जज सीनियर डिवीजन
सदस्य
दुकानों की नीलामी समिति
जनपद न्यायालय सोनभद्र

(आबिद शमीम)
विशेष न्यायाधीश
(एस.सी/एस.टी)
सदस्य
दुकानों की नीलामी समिति
जनपद न्यायालय सोनभद्र

28.1.25

(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश पोक्सो
अध्यक्ष
दुकानों की नीलामी समिति
जनपद न्यायालय सोनभद्र

प्रतिलिपिः